इस्लाम में बूढों और कमज़ोरों के अधिकार

इस्लाम एक प्राकृतिक दीन है जो नैतिकता व शिष्टाचार और मामलों की ऐसी शिक्षा देता है जो इन्सान को मानवता की पर्ति तक पहुंचा देती है। नबी करीम सल्ल0 की रिसालत का उद्देश्य ही उच्च आचरण की शिक्षा है। इस्लाम के प्रदान किए उच्च आचरण का एक महत्व पूर्ण भाग अपंगों और अधिक उम्र के लोगों की देख भाल और उनके अधिकारों को अदा करना है। इस्लाम अपने मानने वालों को इस बात का पाबन्द बनाता है कि अपंगों, विकलांगों और बडी उम्र के लोगों का आदर सम्मान और उनकी हर प्रकार की ज़रूरतों का पूरी तरह .ख्याल रखा जाए।

इसी परिपेक्ष में इस्लामिक.फिक्ह अकेडमी इन्डिया का यह एतिहासिक सेमिनार इस्लामी और नैतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रस्ताव स्वीकार करता है।

1- यदि इन्सान के पास माल हो तो उसूली तौर पर उसका भरण पोषण स्वयं उसके अपने माल में वाजिब है। अलबत्ता पत्नी का भरण पोषण हर हाल में पति पर वाजिब है।

2- यदि मां बाप तंदस्त हों तो सन्तान के ज़िम्मे उनका भरण पोषण वाजिब है। सन्तान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने मां बाप को कमाने पर मजबूर करें यद्यपि मां बाप माल कमाने पर समर्थ हों।

3- दूसरे निकटतम रिश्तेदारों का भरण पोषण व इलाज उस समय वाजिब होगा जबकि ग़रीब होने के साथ माल कमाने से विवश हों।

4- मां बाप यदि स्वयं खाते पीते हों तो सन्तान पर उनका भरण पोषण वाजिब नहीं लेकिन सन्तान को चाहिए कि नैतिक तौर पर मां बाप की हर जायज़ इच्छा को पूरा करें।

5- मां बाप की सेवा औलाद का कर्तव्य है और उनके लिए दुनिया व आखिरत के सौभाग्य का कारण भी, ज़रूरत से .ज्यादा माल और उच्च दर्जे का जीवन स्तर हासिल करने के लिए सेवा के मोहताज मां बाप को छोड कर दूसरे शहर, दूसरे राज्य या दूसरे देशों में जाना उस समय जायज़ होगा जबकि मां बाप की सेवा करने वाले मौजूद हों और मां बाप इस पर राज़ी भी हों।

6- सास और ससुर की सेवा बहू पर शरअी तौर पर वाजिब नहीं है लेकिन शरीअत के दाएरे में रहते हुए सेवा करना उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी है।

7- मां बाप की सेवा बेटा और बेटी दोनों पर वाजिब है।

8- यदि मां बाप बिल्कुल मजबूर हों या ऐसी बीमारियों का शिकार हों कि बेटी की सेवा के मोहताज हों और बेटी के अलावा कोई सेवक न हो तो ऐसी स्थिति में बेटी को मां बाप की सेवा करनी चाहिए, पति को चाहिए कि इसकी अनुमति दे।

9- औलाद का अपने मां बाप को दूसरा निकाह से रोकना जायज़ नहीं है और यदि बाप अपनी उस पत्नी के खर्चों की अदाएगी पर समर्थ न हो तो उसकी दूसरी पत्नी (सौतेली मां) का भरण पोषण भी उसकी मालदार औलाद पर वाजिब है।

10- मां बाप की ज़िन्दगी में जायदाद को बांटने की मांग करना औलाद का हक़ नहीं, मां बाप स्वयं अपनी इच्छा से बांट कर मालिकाना हक़ दे दें तो इसमें कोई हरज नहीं है।

11- अ- अपने बुजुर्ग दिश्तेदारों को अपने साथ रखकर सेवा करना या ज़रूरत के समय दूसरे सेवकों द्वारा उनकी सेवा कराना शरअी कर्तव्य है इस लिए ओल्ड एज होम इस्लाम के स्वभाव के अनुकूल नहीं। अलबत्ता बे सहारा लोगों के लिए ऐसा ओल्ड एज हास्टिल जिनमें शरअी तक़ाज़े पूरे होते हों बनाने की और वहां रखने की गुंजाइश है।

ब- जो लोग स्वयं या सेवकों द्वारा अपने मां बाप की सेवा कर सकते हैं उनके लिए बुढे मां बाप को उनकी इजाज़त व मर्ज़ी के बिना ऐसे हास्पिटल में रखना जायज़ नहीं, अलबत्ता यदि ज़रूरत के तहत और मां बाप की इजाज़त और मर्ज़ी से उनको हास्पिटल में रखा जाए तब भी औलाद पर वाजिब है कि वे निरंतर उनकी ख़बरगीरी करे और उनसे मुलाक़ात करते रहें।

12- हुकूमत बड़ी उम्र के लोगों को रिआयतें उपलब्ध करने के लिए जो उम्र निधारित करती है उस उम्र को पहुंचने से पहले उन रिआयतों से लाभ उठाना जायज़ नहीं हैं।

☆☆☆

नोटः 25 वां फ़िक्ही सेमिनार (बदरपुर, आसाम) दिनांक 25-27 रबीउस्सानी 1437 हि0 - 5-7 फ़रवरी 2016 ई0